राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1189/2021

वीरेन्द्र सिंह यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
4. प्रिंसिपल, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, कायसा, जिला अलवर।
5. निहाल सिंह छोरेरिया, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घाटोल, जिला बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप पूनियां, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 07.02.2021 को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि. कायसा जिला अलवर से रा.उ.मा.वि. कालेड़, जिला अलवर किया गया था। इस अपील में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में कोई स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं माना गया था। अतः अपीलार्थी की अंतरिम स्थगन आदेश की प्रार्थना अस्वीकार की गई थी। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3066/2021 वीरेन्द्र सिंह यादव बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.03.2021 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त रिट याचिका दिनांक 01.07.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से निस्तारित कर अपीलार्थी की रिट याचिका खारिज कर दी है। इस प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है।

2. वर्तमान में यह अपील प्रस्तुत हुये तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 01.07.2022 के द्वारा स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हुए रिट याचिका खारिज की है। ऐसे में हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2022 को दृष्टिगत रखते इस अपील में अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश के संबंध में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।
3. परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)